श्रीमान्‌जी

निवेदन है कि श्रीमान्‌ जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान्‌ जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी युसूफ अली उर्फ युसूफ खान पुत्र लाल खान जाति मुसलमान निवासी चक महारजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जावें।

प्रार्थी को गवाहान कृष्ण कुमार पुत्र नत्थू राम एवं मुख्तयार सिंह पुत्र गजन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री ओम प्रकाश छाबडा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखे जाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय